6/3/25

पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 9 नियम 9 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि मूल पत्रावली दिनांक 27.05.2024 तारीख पेशी नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी/वादी के नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी/वादी न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका एवं वादी के वकील सवाई माधोपुर जिला न्यायालय में अन्य प्रकरण में व्यस्त होने के कारण श्रीमान के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये, जिस कारण पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी। अप्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 कान्ही देवी पत्नि प्रहलाद गुर्जर की मृत्यु हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 हरफूल को अप्रार्थीया संख्या 1 का एकमात्र वारिस होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 9 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार किया जाना करने की कृपा करें।

मैने बहस उभयपक्षीय सुनी। मैंने वकील उभयपक्षों की बहस का मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का [illegible] पत्र अधीन आदेश 09 [illegible] में 200/- रूपये की [illegible] किया जाता है [illegible] पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] नंबर से कम हो [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.03.18 17:57:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा